



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]  
No. 523]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 10, 2003/ज्यैष्ठ 20, 1925  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10, 2003/JYAISTHA 20, 1925

ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2003

का.जा. 669(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 जून 2003 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे अर्थात्:—  
धारा 1 से धारा 120 और धारा 122 से धारा 185

[फा. सं. 23/24/99—आर एण्ड आर (वा. XV)]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2003

S.O. 669(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby appoints the 10th day of June, 2003, as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

Sections 1 to 120 and Sections 122 to 185.

[F. No. 23/24/99-R&R (Vol. XV)]

AJAY SHANKAR, Jr. Secy.